न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 162/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. हरिसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:--- प्रार्थी अपीलांट प्रतिवादी

बनाम

1 फूलसिंह पुत्र तथाकथित पुत्र पन्नाराम वास्तविक पुत्र श्योबक्स जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:--- असल अप्रार्थी रेस्पो0 वादी

2 राज0 सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर

3 उप पंजीयक मुण्डावर

:--- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि0 10.7.15 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.1.2016 द्वारा उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री पवन सिंह चौहान

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री ओमानंद चौधरी

निर्णय दिनांक 17.3.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 239/14 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.7.15 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 12.1.2016 के खिलाफ है, जिनके द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 958 रकबा 53 एयर तथा 965 रकबा 52 एयर वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर का तकासमा किया गया था।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किये गये हैं । वाद का निस्तारण कैम्प कोर्ट में किया गया था । कैम्प कोर्ट सुनवाई हेतु हमको सूचित नहीं किया गया था । इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी । जानकारी में अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि असल रेस्पो0 विवादित भूमि का खातेदार नहीं है । बल्कि मैं और मेरा भाई हरफूल पुत्र पन्नाराम संयुक्त रूप से खातेदार है । दावे में वादी ने अपना नाम फूलसिंह अंकित किया है तथा जमाबन्दी में नाम हरफूल अंकित है । ये दोनों अलग अलग है । वादी को दावा लाने का अधिकार नहीं था। आपराधिक कृत्य करके वादी ने वाद पत्र डिक्री करा लिया है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0. का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि पूर्व में सहवन से मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में हरफूल अंकित हो गया था । जिसको दुरूस्त करवा लिया गया था। मै फूलसिंह ही हूं और प्रतिवादी अपीलांट का भाई हूं । विवादित भूमि में हम पक्षकारान का 1/2, 1/2 भाग निहित है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । अपीलांट ने अपील में मुख्य तर्क यह दिया है कि वादी असल रेस्पो0 का नाम हरफूल है और विवादित भूमि अपीलांट एवं उसके भाई फूलसिंह की है। वादी हरफूल ने फूलसिंह बनकर गलत तौर पर दावा डिक्री करवा लिया। इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2068 – 71 में लाल स्याही से यह नोट अंकित है कि दुरूस्ती इंतकाल नम्बर 775 द्वारा हरफूल के बजाय फूलसिंह स्वीकार किया गया। इसका अर्थ यह है कि पूर्व में वादी का नाम हरफूल अंकित कर दिया गया था,जिसको दुरूस्त करवाकर हरफूल के स्थान पर फूलसिंह अंकित करवा लिया गया है । अगर अपीलांट को उक्त दुरूस्ती इंतकाल से कोई आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते । अपीलांट द्वारा इस अपील में उठाये गये तर्क सारहीन है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.7.15 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.1.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 162/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हरिसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:––– प्रार्थी अपीलांट प्रतिवादी

बनाम

1 फूलसिंह पुत्र तथाकथित पुत्र पन्नाराम वास्तविक पुत्र श्योबक्स जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:––– असल अप्रार्थी रेस्पो0 वादी

2 राज0 सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर

3 उप पंजीयक मुण्डावर

:––– तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि0 10.7.15 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.1.2016 द्वारा उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

उपस्थित:– 1. वकील अपीलांट :– श्री पवन सिंह चौहान

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री ओमानंद चौधरी

पर्चा डिक्री दिनाकं 17.03.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.7.15 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.1.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर